

**राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग**

**क्रमांक: प.10(13)नविवि/3/1981**

**जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित**

**अधिसूचना**

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित चित्तौड़गढ़ मास्टर प्लान-2025 की समयावधि दिनांक 31.12.2025 को समाप्त हो गई है, जिसे एतद्द्वारा दिनांक 31.12.2026 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 के द्वारा अधिसूचित "चित्तौड़गढ़ नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

**राज्यपाल की आज्ञा से**

**(रवि विजय)**

**शासन उप सचिव-प्रथम**

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद चित्तौड़गढ़।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़।
10. अतिरिक्त निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

**शासन उप सचिव-प्रथम**